

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: एफ.2(1)साप्र / 2 / 2012

जयपुर, दिनांक 15.1.2013

— आदेश —

निम्नांकित अधिकारियों को उनकी द्वितीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्बन्ध अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटित किये जाते हैं :—

क्र.सं.	वरियता संख्या	नाम अधिकारी	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृत्ति दिनांक
1	25 / 2004	डा. ब्रज भूषण शर्मा वरिष्ठ लेखाधिकारी सवाईमानसिंह विकित्सालय जयपुर।	ग/ 45 गांधी नगर जयपुर	31.7.2031
2	27 / 2008	श्री लाल चन्द्र औझा आर.ए.एस. शासन उप सचिव जलसंस्थान विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	एम-6 गांधी नगर जयपुर	31.8.2015
3	30 / 2010	श्री राज पाल सिंह यादव आर.ए.एस. शासन उप सचिव कार्मिक (ख) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर (नीतिगत निर्णय)	ग/ 55 ए.वी.एस. गांधी नगर जयपुर	31.7.2021
4	9 / 2011	श्री पीयूष कुमार गुप्ता अधिकारी अभियन्ता कार्यालय मुख्य अभियन्ता प्रशासन एवं तकनीकी सदस्य राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज मण्डल जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग जयपुर	एम-14 गांधी नगर जयपुर	31.5.2018
5	8 / 2012	श्री छोटे लाल मीण अधिकारी अभियन्ता (पी.एम.यू.) आर.डब्ल्यू.आर.एस.पी. जल संसाधन विभाग जयपुर	एन-14 गांधी नगर जयपुर	30.4.2028
6	11 / 2012	श्री बाल केशवर सिंह निदेशक समेती (आत्मा) कृषि विभाग राजस्थान जयपुर	एन-40 गांधी नगर जयपुर	30.9.2013
7	28 / 2012	श्री राजपाल सिंह चौहान आर.ए.एस. अतिरिक्त रजिस्ट्रार प्रथम राहकारिता विभाग जयपुर (नीतिगत निर्णय)	ग/ 59 ए.वी.एस. गांधी नगर जयपुर	31.1.2016
8	35 / 2012	श्री रामपूल बैरवा एहसान का शासन स.वर्व ग्रह (ग्रुप-1) विभाग शासन सचिवालय जयपुर	202 मॉडल टाउन मालवीय नगर जयपुर	30.11.2016
9	38 / 2012	श्री नरेन्द्र कुमार बर्सेल निदेशक नागरिक विमानन सामान्य प्रशासन विभाग जयपुर	504 मॉडल टाउन मालवीय नगर जयपुर	31.7.2035

शर्तें :—

- आवास का कब्जा आवास आवंटन के 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।

4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्ता होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की रिथति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का रिक्त होने की प्रत्याशा में आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1953 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल रिथति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— कृपया आवंटी के द्वारा आवास के आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी—
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
9. कम संख्या 3, 7, 8 व 9 पर अंकित अधिकारियों से “कॉमन सुविधा” शुल्क राशि रुपये 300/- (अक्षरे तीन सौ रुपये मात्र) प्रतिमाह सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा करायें।
10. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
5. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-4) विभाग, जयपुर।
6. शासन उप सचिव, राजस्थान सिविल एवीयेशन विभाग, जयपुर।
7. नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
8. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
9. मुख्य अभियन्ता जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग राजस्थान, जयपुर।
10. मुख्य अभियन्ता जल संस्थान विभाग राजस्थान, जयपुर।
11. निदेशक कृषि विभाग राजस्थान जयपुर।
12. रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
13. शासन उप सचिव क्रार्मिक क-4/2 विभाग।
14. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
15. अधिशाषी अभियन्ता, सा०नि०वि०/जन स्वा०अभि०वि०/जयपुर वि०वि०निगम लि०, गांधीनगर/मालवीयनगर/जयपुर।
16. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित कराये साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की रिथति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावें।
17. समर्त संबंधित अधिकारीगण।
18. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
19. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
20. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर/मालवीयनगर/जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें। कृपया आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
21. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
22. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव शासन सचिव, शासन राज्य सचिव, साप्रवि।
23. अतिरिक्त निजी सचिव शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
24. रक्षित पत्रावली।

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

१०/१०/२०१७